

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार
9वां तल-ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

F.No 234/1394/HFW/QC/2025/360

दिनांक:- 21/03/2025

सेवा में,

श्रीमान उप-सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली-110054

विषय : आठवीं विधानसभा का द्वितीय सत्र (बजट सत्र-2025), माननीय विधायक श्री कुलदीप कुमार द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न सं0 15 दिनांक 24.03.2025 के संदर्भ में।

महोदय/महोदया,

यह पत्र उपरोक्त संदर्भित आपके ई-मेल दिनांकित 15.03.2025 के संदर्भ में प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया उपरोक्त के संदर्भ में इस पत्र के साथ माननीय विधायक श्री कुलदीप कुमार द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0 15 का उत्तर निर्धारित प्रारूप में (100 प्रतियाँ) आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, दिल्ली सरकार के अनुमोदन से प्रेषित किया गया है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार (100 प्रतियाँ)

भवदीय
J.B. KAPIL
उप-सचिव (प्र0शा0)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

J.B. KAPIL
Dy. Secy. (H&FW)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार
9वां तल-ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

तारांकित प्रश्न संख्या : 15
दिनांक : 24.03.2025
प्रश्नकर्ता का नाम : मा0 विधायक श्री कुलदीप कुमार
क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	फरवरी 2019 से 19 फरवरी 2025 तक कितने 'मेडिको लीगल पीड़ितों' का इलाज योजना के अंतर्गत किया गया,	सड़क दुर्घटना योजना के तहत इलाज किए गए लाभार्थियों की संख्या 30365 (तीस हजार तीन सौ पैंसठ) है।
ख	योजना के आरंभ से, सरकार ने कितनी राशि का आवंटन, इस योजना के किया है, और	दिल्ली आरोग्य कोष को कई सेवाओं अर्थात सर्जरी योजना, डायग्नोस्टिक योजना, डायलिसिस योजना और सड़क दुर्घटना योजना चलाने के लिए अनुदान प्राप्त होता है। सड़क दुर्घटना योजना के लिए कोई अलग से बजट आवंटित नहीं किया जाता है फरवरी 2019 से अब तक सभी योजनाओं के लिए कुल 2,63,25,00,000/- (दो अरब तिरसठ करोड़ पच्चीस लाख) रुपये प्राप्त हुए हैं।
ग	इस योजना के अंतर्गत किसी दुर्घटना-पीड़ित के लिए खर्च की गई अधिकतम राशि क्या है?	दिल्ली आरोग्य कोष द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर सड़क दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति के लिए खर्च की गई अधिकतम राशि का लेखा-जोखा तत्काल उपलब्ध नहीं है।

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी किया गया है।

हस्ताक्षर

J.B. KAPIL

उप-सचिव (प्र.शा.)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

J.B. KAPIL
Dy. Secy. (H&FW)